दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 20 मई, 2024

इस मामले में:

रि.या. (सि) 2874/2015 और सि.वि. अपील 5153/2015

अशोक कुमार वर्मा ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विवेक कुमार टंडन और सुश्री प्रेरणा टंडन, अधिवक्ता।

बनाम

अरविंद कुमार शर्मा ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री अदिति सारस्वत, न्याय-मित्र

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) द्वारा अपील सं. सीआईसी/एडी/ए/2013/000990-एसए में पारित आदेश, जिसके अधीन आर.टी.आई. अधिनियम के अधीन निर्धारित समय के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता से रु. 25,000/- की राशि बरामद करने का निर्देश दिया गया था, में पारित आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ।

2. अभिलेख पर मौजूद सामग्री इंगित करती है कि प्रत्यर्थी ने सद्भावना कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा दायर मध्यस्थता मामले में मध्यस्थता पंचाट के गैर-अनुपालन के बारे में पूछताछ की मांग करते हुए सहकारी समितियों के पंजीयक को शिकायत दी थी। दिनांक 19.05.2012 की शिकायत को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> *"1. यह निवेदन किया गया है कि डॉ. सतबीर सिलास बेदी, आई.ए.एस. विद्वान मध्यस्थ के मध्यस्थता पंचाट के माध्यम से, प्रत्यर्थी सोसायटी को श्री अरविंद शर्मा, अधोहस्ताक्षरित दावेदार/याचिकाकर्ता की सदस्यता को मूल स्थिति में बहाल करने और सभी कानूनी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, आपके कार्यालय को इस संबंध में सोसायटी की निष्क्रियता के बारे में अद्यतन किया गया है और हस्ताक्षरकर्ता आपके कार्यालय के मार्गदर्शन और संबंधित क्षेत्र द्वारा जारी निर्देशों के लिए आभारी है।*
>
> *2. यह पंचाट सोसायटी द्वारा अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गए रि.या.-सि 1921/2011 में दिए गए करार आदेश के अधीन मध्यस्थता के सन्दर्भ में दिया गया था जो कि अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति के मामले का मध्यस्थता संदर्भ था जिसका कारण तत्कालीन प्रशासक श्री राजिंदर सिंह द्वारा अवैध रूप से सदस्यता समाप्त करना था।*
>
> *3. 42 अन्य सदस्यों (36+5+1) की सदस्यता समाप्ति के विशेष आर.सी.एस. विचार पर/द्वारा एक साथ कार्यवाही चल रही थी, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्य रिट याचिका (रि.या. (सि) 8873/2011) में निर्देश जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप 5 सदस्यों की सदस्यता बहाल हुई है।*

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जिन सदस्यों का निष्कासन नहीं किया गया है, उनकी सूची डी.डी.ए. को पर्ची डाल कर चुनाव करने के लिए भेजी जानी चाहिए। सदभावना सी.जी.एच.एस., द.प. क्षेत्र की फाइल के निरीक्षण के अनुसार, सोसायटी ने विशेष आर.सी.एस. द्वारा बहाल किए गए 5 सदस्यों को मांग पत्र जारी नहीं किए हैं।

5. अधोहस्ताक्षरित दावेदार/याचिकाकर्ता का मामला उसी आधार पर खड़ा है जिस आधार पर अन्य 5 सदस्यों को बहाल किया गया था। मध्यस्थता निर्णय के बाद, आपके कार्यालय को 05.03.2012 और 12.04.2012 के पत्रों के माध्यम से और बैठकों में अद्यतन किया गया है। विशेष आर.सी.एस. को भी 12.04.2012 पर बुलाया गया और स्मरणपत्र द्वारा अद्यतन किया गया। जोनल ए.आर. ने सोसायटी को 24.04.2012 पर पंचाट का पालन करने के निर्देश जारी किए। इसके विपरीत, सोसायटी सहमत मध्यस्थता प्रक्रिया डी.सी.टी. के परिणाम के विरुद्ध गई है जहां कोई रोक लागू नहीं है। संबंधित ए.आर. ने उपरोक्त 5 सदस्यों और अधोहस्ताक्षरित सदस्यों को मांग पत्र जारी करने के लिए 15.05.2012 पर सोसायटी को फिर से लिखा है। हालांकि, उत्तर आया है।

6. तथाकथित वर्तमान अध्यक्ष और उनके पति/पत्नी (संयुक्त सदस्य) द्वारका में संपत्ति विक्रेता हैं जो कल्हन रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से काम कर रहे हैं। कंपनी की स्थापना और स्वामित्व समान रूप से उनके पास था। श्री अवान कल्हन संपत्ति सौदों के संबंध में विभिन्न वेबसाइटों पर बॉबी कल्हन और उनके नाम से काम करते हैं। कुछ जानकारी इसके साथ संलग्न की गई है।

7. सोसायटी माननीय उच्च न्यायालय और आपके कार्यालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। यह हो सकता है कि सदस्यों को आर.सी.एस. की मंजूरी, अवैध समाप्ति/निष्कासन और कानून के अन्य उल्लंघनों के बिना पिछले प्रशासक(ओं) द्वारा नामांकित

किया गया था। पिछले प्रशासन ने पर्ची द्वारा चुनाव के लिए केवल 51 नाम भेजे थे, जिनमें से कई को कभी भी आर.सी.एस. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था- इस सूची की भी जांच की जानी चाहिए। सदस्यों की सूची को विशेष आर.सी.एस. और विद्वान मध्यस्थ द्वारा सदस्यता की बहाली के बाद संशोधित किया जाना है। यह आग्रहपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरित की सदस्यता को मूल स्थिति में बहाल किया जाए, नाम को शामिल करने के लिए प्रासंगिक भुगतान और औपचारिकताएं पूरी की जाएं।"

(जोर दिया गया)

3. चूंकि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने 03.09.2012 पर एक पत्र लिखा जिसमें दिनांक 19.05.2012 के पत्र के बिंदु संख्या 6 और 7 के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना, ज्ञापन और आदेश मांगे गए।

4. दिनांक 03.09.2012 के आर.टी.आई. आवेदन का उत्तर सी.पी.आई.ओ. द्वारा दिया गया था जिसमें प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था कि संबंधित फाइल दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र को भेज दी गई है और उनसे ही आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5. सी.पी.आई.ओ. द्वारा दिए गए उत्तर से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर उचित उत्तर देने के लिए सी.पी.आई.ओ. को निर्देश देते हुए दिनांक 08.10.12 के आदेश के माध्यम से

अपील का निपटारा किया। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के बजाय, सी.पी.आई.ओ. द्वारा उसे मध्यस्थता पंचाट की एक प्रति दिनांक 26.10.2012 के उत्तर के माध्यम से प्रदान की गई है।

6. आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन न करने का आरोप लगाते हुए और यह कि प्रत्यर्थी को माँगा गया उत्तर नहीं दिया गया है, प्रत्यर्थी ने आर.टी.आई. अधिनियम की खंड 20 के अधीन नुकसान का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया।

7. सी.आई.सी. ने दिनांक 09.06.2014 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को कारण दर्शाने का नोटिस जारी किया कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों का पालन न करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम की खंड 20 के अधीन उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए उस पर रु.25,000/- का जुर्माना लगाया गया है। यह वह आदेश है जिसे तत्काल रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

8. चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं थी, इसलिए इस न्यायालय ने न्यायालय की सहायता के लिए और प्रत्यर्थी की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्वान अधिवक्ता सुश्री अदिति सारस्वत को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि फाइल विभाग के पास उपलब्ध नहीं थीं और कहीं और भेजी गई थीं, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर देने के लिए समय लिया गया था।

10. *इसके विपरीत,* न्याय-मित्र सुश्री अदिति सारस्वत बताती हैं कि प्रत्यर्थी मध्यस्थता पंचाट का पालन न करने के संबंध में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और सोसायटी के पदाधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। वह कहती है कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के बजाय, सी.पी.आई.ओ. द्वारा दिया गया एकमात्र उत्तर यह था कि फाइल को किसी अन्य विभाग को भेजा गया है और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में, मध्यस्थता पंचाट की एक प्रति प्रत्यर्थी को प्रदान की गई है जो मांगी गई जानकारी प्रदान करने के बराबर नहीं है।

11. विद्वान न्याय-मित्र द्वारा यह कहा गया है कि सहकारी समितियों के पंजीयक और सी.पी.आई.ओ. द्वारा सोसायटी के पदाधिकारियों की निष्क्रियता/गलत कार्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है।

12. पक्षों के अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अध्ययन किया गया।

13. आर.टी.आई. अधिनियम को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में मौजूद सूचना को पाने के लिए लागू किया गया था ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।

14. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि प्रत्यर्थी का सद्भावना कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के साथ विवाद था। प्रत्यर्थी ने सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की थी और मामले को सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और प्रत्यर्थी के पक्ष में एक पंचाट पारित किया गया था, फिर भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी ने शिकायत देकर सोसायटी में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। चूंकि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए प्रत्यर्थी को टिप्पणियों, ज्ञापनों और आदेशों के प्रकटीकरण के लिए आर.टी.आई. अधिनियम के अधीन अधिकारियों से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।

15. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगे गए टिप्पणियों, ज्ञापनों और आदेशों को नहीं दिया गया है, बल्कि मध्यस्थता पंचाट की एक प्रति प्रदान करते हुए काफी देर से जानकारी दी गई थी।

16. यह प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं है। जब प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने सी.पी.आई.ओ. को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया और जानकारी प्रदान करने के बजाय,

सी.पी.आई.ओ. ने मध्यस्थता पंचाट की एक प्रति प्रदान की। यदि मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तो सी.पी.आई.ओ. गलत जानकारी देने के बजाय उस अनुसार उत्तर देता।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता पर रु. 25,000/- का जुर्माना लगाने में कोई गलती नहीं पाता है। यह कहा गया है कि जुर्माने की उक्त राशि याचिकाकर्ता के वेतन से पहले ही काट ली गई है और याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुका है।

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह न्यायालय आर.टी.आई. अधिनियम की खंड 20 के अधीन सी.आई.सी. द्वारा पारित आदेश में कोई कमजोरी नहीं देखता है, यह न्यायालय मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है।

19. यह न्यायालय न्याय-मित्र सुश्री अदिति सारस्वत के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने इस न्यायालय की कुशलता से सहायता की है।

20. याचिका को लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज कर दिया जाता है।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद,

20 मई, 2024/एच.एस.के.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*